भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4140

उत्तर देने की तारीख 12.12.2019

पीएमईजीपी का कार्यान्वयन

4140. श्री मोहनभाई कुंडारियाः
श्री हेमन्त पाटिलः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री विनायक भाऊराव राऊतः
डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक क्रेडिट-लिंक्ड राजसहायता कार्यक्रम लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक लाभार्थियों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता की प्रमात्रा कितनी है;

(ग) क्या देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इसके अंतर्गत रोजगार सृजन के उद्देश्य/लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित महिला उद्यमियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(च) एमएसएमई हेतु वित्तीय सहायता की विद्यमान सीमा में वृद्धि सहित कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) और (ख): जी, हां। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है जो एक प्रमुख ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है और उसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरों एवं ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है। इस स्कीम के अंतर्गत, लाभार्थी विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक ऋण ले सकते हैं। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% एवं शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिव/अल्पसंख्यकों/महिलाओं, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजनों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों, आदि जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तथा शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है।

वर्ष 2008-09 में इसके आरंभ से पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 2019-20 तक (31.10.2019 तक) अनुमानित 47 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हुए 12902 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी से लगभग कुल 5.70 लाख सूक्ष्म उद्यमों की सहायता की गई है।

(ग) और (घ): जी, हाँ। विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत सृजित रोजगार का ब्योरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ङ): विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित महिला उद्यमियों की संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

(च): विद्यमान पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों के विस्तार/उन्नयन के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 से द्वितीय वित्तीय सहायता स्कीम शुरू की है (गैर-पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 15% तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं पहाड़ी राज्य के लिए 20% सब्सिडी के साथ विनिर्माण इकाई के लिए 1.00 करोड़ रूपए तक तथा सेवा/व्यापारिक इकाई के लिए 25.00 लाख रूपए तक)।

इसके अलावा, स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

i. पीएमईजीपी स्कीम के तहत पारदर्शिता लाने एवं मार्जिन मनी के शीघ्र संवितरण के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने वित्तपोषण बैंक शाखाओं को सीधे ऑनलाइन मार्जिन मनी संवितरण शुरू किया है।
ii. लाभार्थियों को आवश्यक पथप्रदर्शन एवं परामर्श प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान (एमएसएमई-डीआई) और औजार कक्षों ने पीएमईजीपी इकाइयों के साथ संपर्क स्थापित किया है।
iii. सूक्ष्म उद्यमों के विकास के लिए पीएमईजीपी स्कीम को लोकप्रिय बनाने तथा प्रचारित करने के लिए, जिला, राज्य एवं क्षेत्रीय स्तरों पर जागरूकता शिविरों, कार्यशालाओं, बैंकर्स बैठकों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है।
iv. पीएमईजीपी कार्यकलापों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, कयर उद्यमियों को स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा कयर बोर्ड को कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है।
v. लाभार्थियों के साथ तत्काल संपर्क स्थापित करने के लिए, सभी पीएमईजीपी इकाइयों की जिओ टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है।
vi. पीएमईजीपी की कार्यान्वयन प्रक्रिया को तेज करने के लिए, ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल एवं मोबाइल एप विकसित किए गए हैं और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण देने के लिए 22.10.2019 से क्रियाशील बनाये गये हैं।

****

अनुबंध-I

दिनांक 12.12.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4140 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

विगत तीन वर्षों से पीएमईजीपी के अंतर्गत रोजगार - लक्ष्य एवं उपलब्धि							
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19 (अनंतिम)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
I	उत्तर क्षेत्र						
1	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	800	376	800	360	768	224
2	दिल्ली	1200	952	800	920	936	1056
3	हरियाणा	13488	11016	15088	13744	15392	17320
4	हिमाचल प्रदेश	7880	6916	7144	7088	8832	11192
5	जम्मू और कश्मीर	6168	11691	19088	30024	21128	60232
6	पंजाब	8016	9858	15088	12160	15240	14408
7	राजस्थान	14000	13408	19640	12616	25536	18872
	कुल	**51552**	**54217**	**77648**	**76912**	**87832**	**123304**
II	मध्य क्षेत्र						
1	छत्तीसगढ़	17976	12856	11264	11704	20920	24752
2	मध्य प्रदेश	34112	15520	30352	14432	39448	20208
3	उत्तराखंड	4560	9890	8536	12904	9560	17448
4	उत्तर प्रदेश	51928	36315	52632	43456	61040	41944
	कुल	**108576**	**74581**	**102784**	**82496**	**130968**	**104352**
III	**पूर्वोत्तर क्षेत्र**						
1	अरुणाचल प्रदेश	2000	1984	2000	1672	2344	2240
2	असम	20016	31498	21408	18256	34752	29896
3	मणिपुर	7288	8419	5736	4800	8576	10328
4	मेघालय	1144	2632	5680	600	8880	3120
5	मिजोरम	2592	3400	3784	1992	7208	8984
6	नागालैंड	8336	7783	10912	7440	9344	9664
7	सिक्किम	344	201	800	296	656	440
8	त्रिपुरा	9072	17961	9136	8928	8584	9432
	कुल	**50792**	**73878**	**59456**	**43984**	**80344**	**74104**
IV	**पूर्व क्षेत्र**						
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	800	1398	2000	1744	928	1832
2	बिहार	27640	25872	22616	18456	35864	26424
3	झारखंड	8664	10400	8280	8888	20432	14376
4	ओडिशा	28808	20392	19848	19192	25472	24560
5	पश्चिम बंगाल	22720	26604	13904	10928	20440	19304
	कुल	**88632**	**84666**	**66648**	**59208**	**103136**	**86496**
V	**पश्चिम क्षेत्र**						
1	गोवा	1488	660	792	400	1992	624.00
2	गुजरात*	29592	11629	39640	15008	39216	28000.00
3	महाराष्ट्र **	8448	17799	27424	26632	30000	45136
	कुल	**39528**	**30088**	**67856**	**42040**	**71208**	**73760**

VI	**दक्षिण क्षेत्र**						
1	आंध्र प्रदेश	17344	14148	15736	12216	17032	17760
3	कर्नाटक	31768	30286	21848	16920	23192	29256
2	केरल	15784	13068	9336	10776	11480	19888
4	लक्षद्वीप	400	0	400	0	160	0.00
5	पांडिचेरी	1200	699	800	352	536	608
6	तमिलनाडु	21168	25764	29040	32760	29240	41480
7	तेलंगाना	8016.00	6445	18448	9520	23920	16408
	कुल	**95680**	**90410**	**95608**	**82544**	**105560**	**125400**
	कुल योग	**434760**	**407840**	**470000**	**387184**	**579048**	**587416**
	*** दमन और दीव सहित, ** दादरा और नगर हवेली सहित**						

अनुबंध-II

दिनांक 12.12.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4140 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध II

विगत 3 वर्षों के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला उद्यमियों की संख्या				
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19 (अनंतिम)**
I	उत्तर क्षेत्र			
1	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	14	18	13
2	दिल्ली	40	43	54
3	हरियाणा	283	422	547
4	हिमाचल प्रदेश	198	303	528
5	जम्मू और कश्मीर	476	1188	2449
6	पंजाब	454	580	703
7	राजस्थान	314	337	524
	कुल	**1779**	**2891**	**4818**
II	**मध्य क्षेत्र**			
1	छत्तीसगढ़	319	327	726
2	मध्य प्रदेश	512	518	73
3	उत्तराखंड	296	327	499
4	उत्तर प्रदेश	1387	1492	1433
	कुल	**2514**	**2664**	**3396**
III	**पूर्वोत्तर क्षेत्र**			
1	अरुणाचल प्रदेश	104	86	99
2	असम	1484	581	999
3	मणिपुर	223	237	533
4	मेघालय	142	31	126
5	मिजोरम	128	134	542
6	नागालैंड	334	427	535
7	सिक्किम	11	15	27
8	त्रिपुरा	452	261	248
	कुल	**2878**	**1772**	**3109**
IV	**पूर्व क्षेत्र**			
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22	38	51
2	बिहार	915	647	861
3	झारखंड	292	215	428
4	ओडिशा	942	777	1185
5	पश्चिम बंगाल	802	406	810
	कुल	**2973**	**2083**	**3335**
V	**पश्चिम क्षेत्र**			
1	गोवा	37	19	30
2	गुजरात	567	1017	2382
3	महाराष्ट्र **	783	1079	1965
	कुल	**1387**	**2115**	**4377**

VI	**दक्षिण क्षेत्र**			
1	आंध्र प्रदेश	294	719	1101
3	कर्नाटक	816	580	1086
2	केरल	635	525	1052
4	लक्षद्वीप	0	0	0
5	पांडिचेरी	26	21	29
6	तमिलनाडु	1248	1929	2463
7	तेलंगाना	218	370	668
	कुल	**3237**	**4144**	**6399**
	कुल योग	**14768**	**15669**	**25434**
	*** दमन और दीव सहित, ** दादरा और नगर हवेली सहित**			